रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 1996/अग्रहायण 5, 1918
No. 398] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 1996/AGRAHAYANA 5, 1918

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1996

सा. का. नि. 540 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) (सलाहकार समिति) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57 अभिप्रेत) है,

(ख) "सलाहकार समिति" से ऐसी सलाहकार समिति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन गठित की गई है;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 17 की धारा (5) के अधीन नियुक्त सलाहकार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "मूल नियम " से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) नियम, 1996 अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में या मूल नियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या मूल नियम में हैं।

3. किसी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के निबंधन और शर्तें :—

(1) कोई व्यक्ति किसी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह :

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जिसमें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में , नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) विकृतचित्त है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है; या

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में, ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उसके द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता संभाव्य है; या

(च) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में लिंग निर्धारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक के प्रयोग या प्रोन्नति से सम्बद्ध रहा है।

(2) सलाहकार समिति का प्रत्येक सदस्य उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होगा जिसके लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है और जिसमें उसें एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

(3) सलाहकार समिति का सदस्य, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में पद धारण कर रहा है तो वह अपनी नियुक्ति की तारीख से केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसा पद धारण करेगा ।

(5) सेवा निवृत्त होने वाला कोई सदस्य या कोई ऐसा सदस्य जिसकी पदावधि समय व्यतीत हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(6) यदि किसी सलाहकार समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति किसी सदस्य के पदत्याग, मृत्यु, स्थानान्तरण या उसे सेवा से हटाये जाने के कारण या अन्यथा होती है तो ऐसी रिक्ति नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, पदावधि से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार सलाहकार समिति के किसी सदस्य को, उसका सेवाकाल समाप्त होने से पहले, हटा सकेगी।

(8) सलाहकार समिति का प्रत्येक सदस्य, सलाहकार समिति की बैठकों में जिनके अन्तर्गत गणपूर्ति के अभाव में स्थागित कोई बैठक भी है उपस्थित होने या अधिनियम के अधीन या मूल नियमों के अधीन या इन नियमों के अधीन विहित किन्हीं अन्य कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा की गई यात्राओं के लिए, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय मापमान के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

4. सलाहकार समिति की बैठकें :—सलाहकार समितियों की किन्हीं दो बैठकों के बीच अन्तर्वर्ती अवधि साठ दिन से अधिक नहीं होगी।

5. बैठक की सूचना :—

(1) प्रत्येक सदस्य को सलाहकार समिति की सभी बैठकों की सूचना कम से कम सात पूर्ण दिनों के पहले दी जाएगी। किन्तु अत्यन्त आवश्यक बैठक अध्यक्ष द्वारा तीन पूर्ण दिनों की सूचना पर बुलाई जा सकेगी।

परन्तु यदि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है और नियम 4 में विहित समय सीमा के भीतर बैठक बुलाया जाना अपेक्षित है तो समुचित प्राधिकारी सलाहकार समिति के कम से कम चार सदस्यों से परामर्श करने के पश्चात् सात पूर्ण दिनों की सूचना पर बैठक बुला सकेगा।

(2) सूचना में बैठक में किए जाने वाले कार्य का उल्लेख और अध्यक्ष की सम्मति या उसके प्रस्ताव के सिवाय, उल्लिखित कार्य से भिन्न कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

6. साधारणतया बैठकों में किए जाने वाले कार्य.—सलाहकार समिति का कार्य साधारणतया इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से बुलाई गई बैठक में किया जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह उचित समझता है, किसी अत्यावश्यक विषय को सलाहकार समिति के सदस्यों को उनकी राय के लिए परिचालित कर सकेगा ।

7. गणपूर्ति :—सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक के चार सदस्यों के होने पर गणपूर्ति होगी।

8. बैठक का अध्यक्ष :—सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी या उसकी अनुपस्थिति में या अध्यक्ष की नियुक्ति न होने की दशा में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी।

9. सलाहकार समिति को समुचित प्रधिकारी द्वारा दी जाने वाली सहायता :—

(1) सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक में सम्बद्ध समुचित प्राधिकारी उपस्थित रहेगा।

(2) सलाहकार समिति को अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा सभी सचिवीय और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) नियम 5, 6, 7 और 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष से परामर्श करके समुचित प्राधिकारी बैठक की सूचना, कार्यसूची, कार्यसूची पर टिप्पण और बैठक का कार्यवृत्त जारी करेगा।

10. सलाहकार समिति के समक्ष प्रश्नों का विनिश्चय :—

(1) सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह को अंगीकार किया जाएगा और सदस्यों की राय में किसी मतभेद की दशा में ऐसे विषय पर मतदान कराया जाएगा जो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से विनिश्चित होगा।

(2) समुचित प्राधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीयिक या निर्णायक मत होगा।

(4) किसी प्रश्न को अंगीकृत करने के बजाय मतदान की प्रक्रिया द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले तथ्य को सलाहकार समिति को उस बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा।

11. रिक्तियों आदि से सलाहकार समितियों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—सलाहकार समिति की कोई बैठक या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी —

(क) सलाहकार समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

(ख) सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि ; या

(ग) सलाहकार समिति द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

12. सलाहकार समितियों की कार्यवाहियों का अभिलेख—सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची, कार्यसूची पर टिप्पण, समर्थक दस्तावेज और कार्यवृत्त का एक समुच्चय अध्यक्ष के या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और समुचित प्राधिकारी द्वारा इसे स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।

[सं. एन. 23011/59/94—पी.एल.वाई.]

के. एस. सुगाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1996

G.S.R. 540 (E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) (Advisory Committees) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) ;

(b) "Advisory Committee" means an Advisory Committee constituted under sub-section (5) of section 17 of the Act ;

(c) "Chairman" means Chairman of the Advisory Committee appointed under sub-section (5) of section 17 ;

(d) "Principle rules" means the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996 ;

(e) "section" means a section of the Act ;

(f) words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act or in the principal rules, as the case may be, shall have the meanings, respectively, assigned to them in the Act or in the principle rules.

3 **Terms and conditions of appointment as a member of an Advisory Committe.**— (1) No person shall be

appointed as a member of an Advisory Committee if he —

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government or the State Government, as the case may be, involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the Government; or

(e) has, in the opinion of the Central Government or the State Government, as the case may be, such financial or other interest as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member of the Advisory Committee; or

(f) has, in the opinion of the Central Government or the State Government, as the case may be, been associated with the use or promotion of pre-natal diagnostic techniques for determination of sex.

(2) Every member of an Advisory Committee shall be a resident of the State or Union territory, for which the Advisory Committee to which he is appointed as a member, has been constituted.

(3) A member of an Advisory Committee shall hold office during the pleasure of the Central Government or the State Government, as the case may be.

(4) subject to the provisions of sub-rule (3), every such member shall hold office for a period not exceeding three years.

Porvided that any person holding office as a member of an Advisory Committee immediately before the commencement of these rules shall hold such office only for the term of three years from the date of his appointment.

(5) A retiring member or a member whose term of office has expired by efflux of time shall be eligible for re-appointment.

(6) A casual vacany in an Advisory committee caused by the resignation, death, transfer or removal of any member or otherwise shall be filled by fresh appointment and the person so appointed shall hold office for a period not exceeding the term of office of the member in whose place he is appointed.

(7) The Central Government or the State Government, as the case may be, may remove from office any member of an Advisory committee before the expiration of his term of office.

(8) Every member of an Advisory Committee shall be entitled to draw travelling and daily allowances for journeys performed by him for attending the mettings (including a meeting adjourned for want of quorum, of the Advisory Committee or for the purpose of discharging any other duties prescribed under the Act, or under the Principal rules or under these rules, on the scale admissible to First Grade Officers of the Government of the State or of the Union Territory , as the case may be.

4. **Meetings of the Advisory Committees.**— The intervening period between any two meetings of an Advisory Committee shall not exceed sixty days.

5. **Notice of Meeting.**—

(1) At least seven clear days' notice of all meetings of the Advisory committee shall be given to each member, but an urgent meeting may be called by the chairman at three clear days' notice.

Provided that if the chairman is not available, and a meeting is required to be held within the time limit prescribed in rule 4, the Appropriate Authority may call a meeting with seven clear days' notice after consultation with not less than four of the members of the Advisory Committee.

(2) The notice shall state the business to be transacted at the meeting and no business other than that stated shall be transactd at such meeting except with the consent of the Chairman or on his motion.

6. **Business ordinarily to be transacted at meetings.**—The business of the Advisory Committee shall ordinarily be transacted at a meeting duly called in accordance with the provisions of these rules:

Provided that the Chairman may, if he thinks fit, circulate any urgent matter among the members of the Advisory Committee for their opinion.

7. **Quorum.**—At every meeting of the Advisory Committee, four members shall form a quorum.

8. **Chairman of the meeting.**—Meetings of the Advisory committee shall be presided over by the Chiarman or in his absence, or if no Chairman has been appointed, by a amember elected by the members present from among themselves.

9. **Assistance to be renderd by the Appropriate Authority to the Advisory Committee.**—(1) Every meeting of the Advisory Committee shall be attended by the Appropriate Authority concerned.

(2) All secretarial and other assistance to the Advisory Committee for the discharge of its functions shall be provided by the Appropriate Authority.

(3) The Appropriate Authority shall issue the notice of meeting, agenda, notes on agenda and the minutes of the meeting, in consultation with the chairman, subject to the provisions of rules 5, 6, 7 and 12.

10. **Decisions on questions before the Advisory Committee.**—(1) The advice tendered by the Advisory Committee shall be adopted, and in the event of any difference of opinion amongst the members, the matter shall be put to vote and decided by a simple majority of the members present.

(2) The Appropriate Authority shall not have a vote.

(3) In the event of tie in votes, the Chairman or in his absence, the member presiding shall have a second or casting vote.

(4) The fact of any question having been decided by the process of voting instead of by adoption, shall be recorded in the minutes of that meeting of the Advisory Committee.

11. **Vacancies etc., not to invalidate proceedings of the Advisory Committees.**—No meeting or proceeding of the Advisory Committee shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Advisory Committee; or

(b) any defect in the appointment of a person to be a member of the Advisory Committee; or

(c) any irregularity in the procedure adopted by the Advisory Committee not affecting the merits of the case.

12. **Record of proceedings of the Advisory Committees.**—One set of the agenda, notes on agenda, supporting documents and minutes of every meeting of the Advisory Committee shall be authenticated by the signature of the Chairman or in his absence by the signature of the member presiding, and preserved by the Appropriate Authority as permanent records.

[No. N. 23011/59/94-Ply]

K. S. SUGATHAN, Jt. Secy.

IndiaCode

28716 I/96-2.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

IndiaCode